Statement

Funds allocated under IAY during 1995-96

(Rs. in Lakhs)

S. No.	State/U.T.	Allocation Central
1.	2.	3.
1.	Andhra Pradesh	7764.21
2.	Arunachal Pradesh	79.71
3.	Assam	2555.95
4.	Bihar	15229.21
5.	Goa	86.12
6.	Gujarat	2850.09
7.	Haryana	684.63
8.	Himachal Pradesh	556.07
9.	Karnataka	5213.33
10.	J & K	556.07
11.	Kerala	1896.68
12.	M.P.	9838.39
13.	Maharashtra	8464.06
14.	Manipur	102.16
15.	Meghalaya	119.54
16.	Mizoram	50.36
17.	Nagaland	128.13
18.	Orissa	6298.60
19.	Punjab	486.85
20.	Rajasthan	4087.49
21.	Sikkim	46.65
22.	T.N.	7018.73
23.	Tripura	132.69
24.	U.P.	18921.14
25.	W.B.	6957.87
26.	A & N Islands	47.17
27.	D & N Haveli	25.61
28.	Daman & Diu	15.08
29.	Lakshadweep	23.65
30.	Pondicherry	46.18
	TOTAL:	100000.00

नार्थ/साऊथ एवेन्यू स्थित गैराजों में अवैध व्यापा

1142. **श्री गोविन्द राम मिरीः** क्या **शहरी का और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नार्थ एवेन्यू और साऊथ एवेन्यू सरकारी गैराजों में और खुले भू-क्षेत्र पर अवै कारोबार/होटल और अन्य व्यावसायिक केन्द्र अभी च रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए केन्द्री सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या नई दिल्ली नगर परिषद ने इस अवै केन्द्रों को कोई कानूनी समन जारी किया है;

(घ) क्या ऐसे अवैध कारोबार से सांसदों की सुर पर प्रश्न चिन्ह लग गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रि है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में शह विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री आर० वे धवन): (क) से (ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग बताया है कि नॉर्थ तथा साऊथ एवेन्यू में खुले क्षेत्रों कोई अतिक्रमण नहीं है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग यह भी बताया है कि नॉर्थ/साऊथ एवेन्यू में 21 गै का इस्तेमाल होटल, टेण्ट हाऊस तथा दुकानों उ वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। घटनाओं की सूचना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्व समय-समय पर लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवाल को दी जाती है क्योंकि इन मकानों और गैराजों आबंटन सम्बन्धित सदन की समितियों द्वारा किया ज है। अवैध इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए लं सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों द्वारा की गई कार्र ज्ञात नहीं है।

Rehabilitation Package for PSUs

1143. SHRI B.K. HARIPRASA Will the MINISTER OF INDUSTRY pleased to state:

(a) whether it is a fact that many l making PSUs, which have been refer to BIFR, are still in a limbo due to de in disposal of the cases by BIFR;

(b) whether Government wo consider ploughing back the proce under the disinvestment schemes in pr making PSUs, to the revival of the l